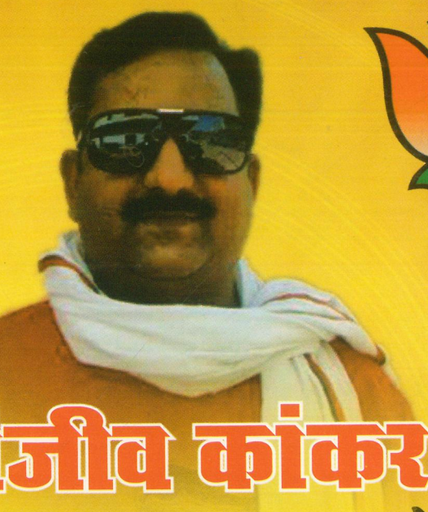

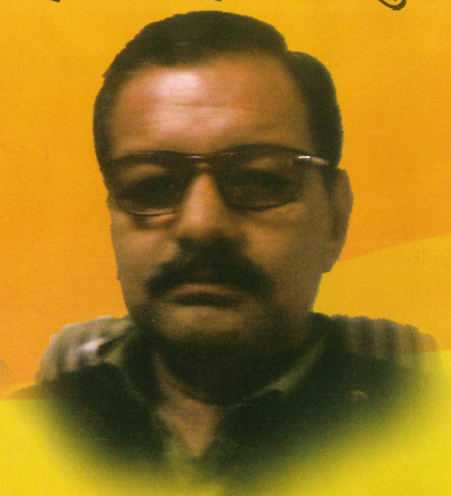

कर्मठ, साहसी, संगठनात्मक, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी
विनोद सिंह तोमर
श्री
संजीव कांकर
को
भारतीय जनता पार्टी के भिंड जिला अध्यक्ष
बनने पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं
सुरेन्द्र भारद्वाज
भारतभूषण दुबे
असलम खान

Internal News
in
इंटरनल न्यूज
Reg. No. MPHIN/2014/58411
वर्ष-1 , अंक - 9
मई 2015
मूल्य -15/-
अडिग पशुपतिनाथ
विश्व की भयावह त्रासदी
भूकंप से हिला नेपाल

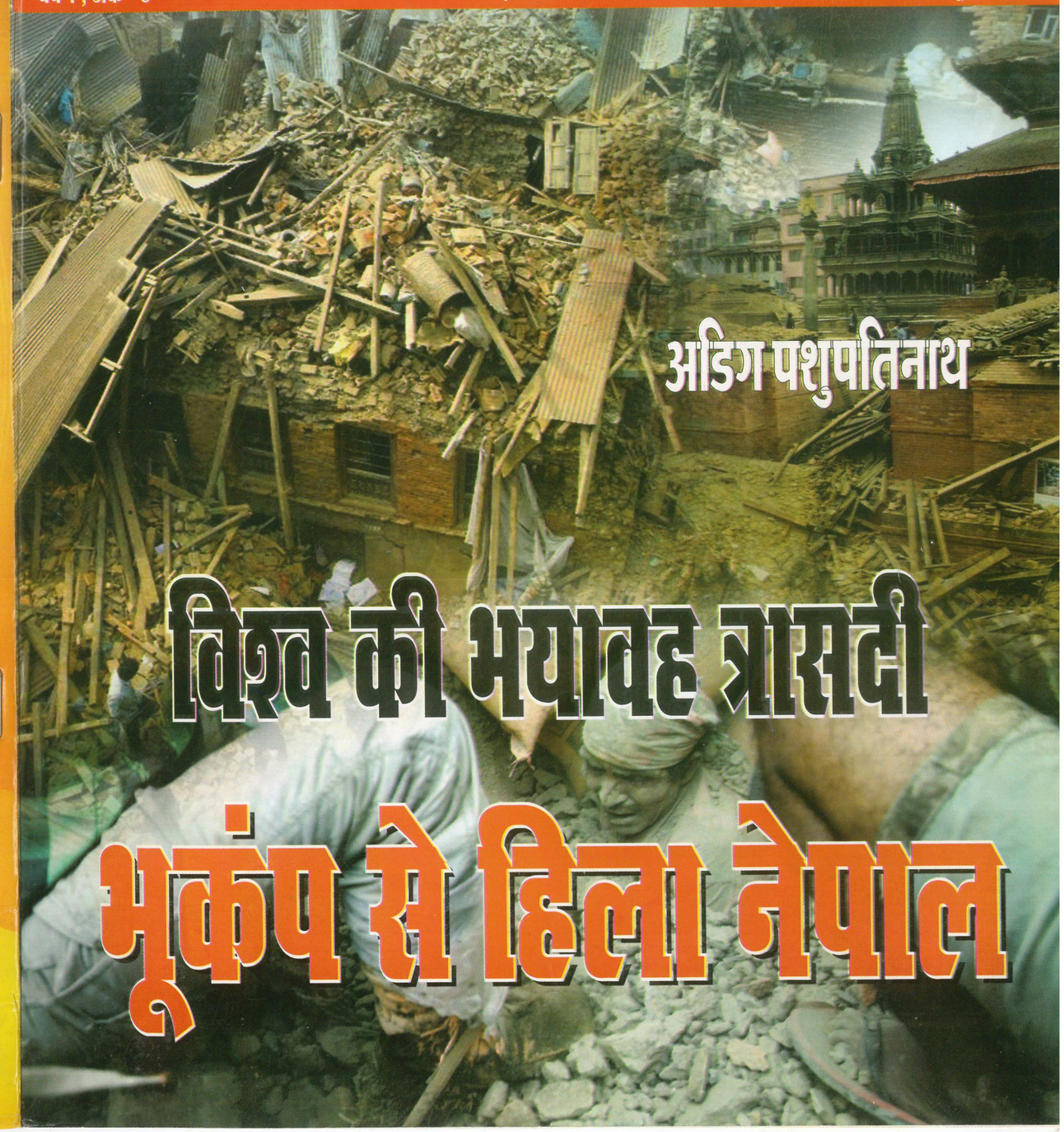

किसी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य है वर्तमान समय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों को क्या निर्देष दिये गये है इस संदर्भ में हमारे इंटरनल न्यूज के संवाददाता राकेश गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर में पैरवी करने वाले जाने माने अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर से एक विशेष परिचर्चा की गई जिसकी जानकारी होना सभी पाठकों एवं आम जनता को होना आवश्यक है अब प्रस्तुत है परिचर्चा के कुछ अंशः-

प्र. अपराध क्या है ?

उ. अपराध एक सीखा हुआ मानव व्यवहार है, जो विधि विरूद्ध होता है। प्रारम्भ में अपराध करते समय अपराधियों में साहस और धैर्य की कमी होती है तथा भय के कारण उनके आरम्भिक अपराध सुनियोजित नहीं होते है। मनुष्य में अपराधिकता आरम्भ होने के अनेक कारण है- (1) आवेश के कारण (2) आवश्यकता की पूर्ति न होना (3) असफलता के कारण (4) निराशा, ईर्ष्या (5) संगति (6) बदला लेने की भावना (7) कुख्याति प्राप्ति की भावना (8) आधुनिक फैशन का प्रभाव (9) मानसिक स्थिति का अच्छा न होना (10) स्थान विशेश की भौगोलिक स्थिति के कारण (11) मूल्यों मे वृद्वि के कारण (12) बेरोजगारी (13) मद्यपान (14) आवारगर्दी (15) कुरूपता (16) घरेलू वातावरण (17) हीनता (18) संरक्षण का अभाव (19) आर्थिक कारण ।

प्र. अपराध कितने प्रकार के होते है ?

उ मुलतः ये पांच प्रकार के होते हैं। (1) व्यक्ति के विरूद्ध (2) सम्पत्ति के विरुद्ध (3) राज्य के विरूद्ध (4) व्यवस्था के विरूद्ध (5) न्याय के विरूद्ध अपराध साधारणतया: उपरोक्त भागों में बांटे गये हैं। गम्भीर एवं साधारण अपराध इन अपराधों की विशेषताऐं हैं।

प्र. अपराधी कितने प्रकार के होते हैं ?

उ. संक्षेप में अपराधियों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है (1) नव अपराधी (2) स्थानिक अपराधी (3) रूढ़िवादी अपराधी (4) जन्मजात अपराधी (5) कामुक अपराधी (6) महिला अपराधी (7) बाल एंव किशोर अपराधी (8) मनोविक्षिप्त अपराधी (9) अभ्यस्त अपराधी (10) सफेदपोश (11) व्यसायिक अपराधी

प्र. प्रथम सूचना एफआईआर क्या है?

उ. अपराध के घटित होने के बाद प्रथम चरण में दी जाती है इसलिये इसे प्रथम सूचना कहते है। इस सूचना से पुलिस अधिकारी को अपराध पंजीयन तथा अनुसंधान के अधिकार प्राप्त होते है। यह सूचना केवल प्रसंगेय अपराधो की ही होती है जो धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेख की जाती है। इसे पंजीबद्ध करने के लिये एक अलग से रजिस्टर होता है जो प्रथम सूचना रजिस्टर कहलाता है।

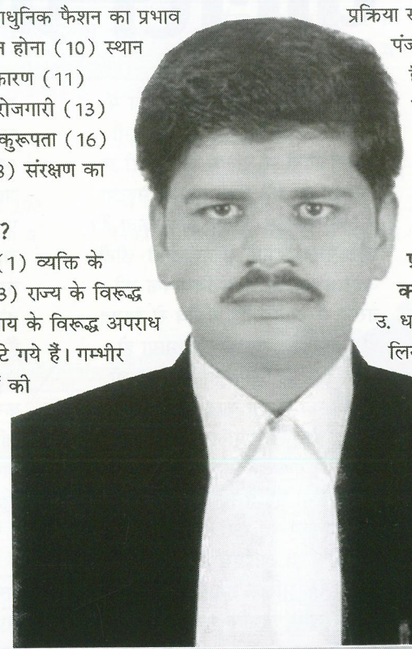

प्र. यह सूचना कौन दे सकता है?

उ. जिस पर अपराध घटित हुआ हो , जिसने घटना देखी हो , जिसको सूचनाकर्ता ने भेजा हो , ग्राम चौकीदार पटेल , पुलिस अधिकारी , एंव अपराधी स्वयं

प्र. केस डायरी क्या कहलाती है एवं इसका क्या महत्व है?

उ. धारा 172 दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत केस डायरी लिखने का प्रावधान है। अपराध कायमी की नकल से केस डायरी प्रारंभ करते है जो परचा नगर कहलाता है। यह केस डायरी दो प्रतियों में लिखी जाती है। प्रत्येक दिन की कार्यवाही का परचा अलग-अलग होता है। दिन भर की कार्यवाही डायरी में रात को एकांत में लिखी जाती है। कार्बन परचा पुलिस अधीक्षक को भेज दिया जाता है।

साधारणतया: निम्न बातें लिखते हैं -

- प्रथम सूचना की नकल
- घटना स्थल को तफ्तीश हेतु कब रवाना हुये
- घटना स्थल पर कब पहुंचे
- निरीक्षण घटना स्थल किसके बताने पर किया व किन साक्षियों के समक्ष
- घटना स्थल के हालात
- किन - किन व्यक्तियों से अपराध के संबंध में पूछा गया उनके नाम पते- उनका संक्षिप्त कथन
- किन - किन ग्रामों में माल मुलजिम की तलाश की गई
- अपराध हुआ है या नही
- यदि हुआ है तो किनके द्वारा मुकामी है या बाहरी
- अपराधियों ने स्थल को कैसे जाना
- जो माल जप्त किया गया उसका विवरण किससे व कहां
- घटना स्थल पर क्या कोई पदचिन्ह , अगुंल चिन्ह मिले
- उनका परीक्षण करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट
- मौके पर छायाकार , कुत्ता व अन्य विशेषज्ञ की सहायता ली गई तो उसका खुलासा
- किस मुलजिम की गिरफ्तारी कब व कहां की गई, पूर्ण विवरण
- जमानत पर छोड़ा गया तो उसका विवरण या थाना लाया गया

- हवालात बंद करने की रिपोर्ट
- अपराधी का रिमाण्ड पर भेजने की रिपोर्ट
- पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया या जुडीशियर्ल रिमाण्ड व क्यों
- अगर किसी का मेडिकल परीक्षण कराया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण , चोटे किस प्रकार आई है उनका भी खुलासा
- वरिष्ठ अधिकारियों ने कब सुपरवीजन किया तथा क्या-क्या हिदायतें दी है वे कब -कब तामीली की गई
- पहचान कार्यवाही पुरूष अथवा माल की रिपोर्ट
- खात्मा , खारजी , चालानी कार्यवाही की रिपोर्ट
- जब -जब किसी अपराध में कोई कार्यवाही की जावेगी उसका परचा डायरी म लेख किया जावेगा
- पुन: विवेचना में ले जाने की रिपोर्ट
- चालान के साथ कौन - कौन से पत्रक अदालत भेजे जा रहे है व कौन - कौन सा माल चालान के साथ अदालत भेजा जा रहा है उसका भी खुलासा करेंगे।
- कौन - कौन गवाह क्या -क्या साक्ष्य देगा इसका भी बीफ्र डायरी में बनाया जावेगा।

महत्व

- अदालत द्वारा जांच तथा विचारण अपराध के समय केस डायरी देखी जा सकती है।
- रिमाण्ड स्वीकार के समय जमानत दिये जाने के समय अदालत डायरी देख सकते है।
- अधिकारीगण डायरी को देखकर अपराध की प्रगति को देखते है तथा ये भी देखते है कि इनके द्वारा दिये गये मार्गदर्शन कहां तक अनुसंधानकर्ता ने पातन किये है।
- साक्षी को विपरीत घोषित किये जाने पर अदालत इसे देख सकती है।
- 159 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्षी अपनी साक्ष्य के दौरान याददाशत ताजा कर सकता है।
- अपराधी भी उस भाग को जितने भाग को साक्षी अनुसंधानकर्ता देखता है देख सकता है।
- पूर्व जमानत के प्रकरणों में भी डायरी अदालत के समीप प्रस्तुत करना होता है।

प्र. प्रत्येक पुलिस थाने में अपराध संबंधी कितने रजिस्टर होते है?

उ. अपराध संबंधी रजिस्टर

- प्रथम सूचना रजिस्टर
- रोजनामचा आम
- जरायम रजिस्टर
- ग्राम अपराध पुस्तिका
- केस डायरी
- हिस्ट्रीशीट
- जप्त शुदा सम्पत्ति का रजिस्टर
- गिरफ्तारी का रजिस्टर
- भागे हुए एवं उद्घोषित उपराधियों का रजिस्टर
- अचानक अप्राकृतिक भृत्यू का रजिस्टर
- जन्म-मरण सांख्याकी रजिस्टर
- गुमे हुये पशुओं का रजिस्टर
- अपराधिक वर्गीकरण रजिस्टर
- अपराध वर्गीकरण रजिस्टर
- अदम दस्तन्दाजी अपराधों की रिर्पोट का रजिस्टर

प्र. यदि किसी प्रासंगिक अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी की दी जाती है तो उसका क्या कर्तव्य है?

उ. पुलिस अधिकारी को तत्काल उस पर प्रथम सूचना रिर्पोट लिखनी चाहिये इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायलय ने ललिता कुमारी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य में यही न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

प्र. यदि कोई पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिर्पोट लिखने के बाद या उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का सही पालन नही किया जाता है तो उनके ऊपर भी कोई कर्यावाही का प्रावधान है?

उ. हां यदि वह ऐसा करते है तो वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन के विभिन्न प्रावधानों एवं पुलिस रैंग्युलेशन के पेरा 62 (अ) एवं 64 (2) की अवहलेना है जिसमें उनकी सर्विस तक जा सकती है।

प. क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसंधान अधिकारी को अपराध की विवेचना के संदर्भ में किसी प्रकार के दिशा निर्देश दिये गये हैं?

उ. हां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेस कुमार विरूद्ध बिहार राज्य में यह कहा है जो इस प्रकार है। दंड प्रकिया संहिता 1973 धारा 41 और 41-क-धारा 41 और 41-क.दं.प्र.सं. के सम्यक पालन हेतु जिससे कि पुलिस अधिकारीगण अनावश्यक रूप से अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करें और मजिस्ट्रेटस यंत्रवत और अप्रासंगिक रूप से निरोध अधिकृत नहीं करे उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पद 14 में अंकित किये गये निर्देश दिये - आगे यह स्पष्ट किया गया कि उन निर्देशों के अपालन करने पर संबंधित पुलिस अधिकारीगण विभागीय कार्यवाही के पात्र होंगे और साथ वे न्यायालय की अवमानना के लिये उच्च न्यायालय में जवाबदार होंगे - यह भी निदेशित किया गया कि न्यायिक की अवमानना के लिय उच्च न्यायालय में नहीं करते हैं वे उपयुक्त उच्च न्यायलय में न्यायालय की अवमाना के लिये जिम्मेदार होगें- यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्देश न केवल धारा 498 - क.भा. द.सं.या.धारा 4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम के प्रकरणों को लागू होंगे बल्कि उन प्रकरणों को भी लागू होंगे जहां अपराध अर्थदंड के साथ - साथ या अर्थदंड के बिना ,7 वर्ष के कारावास से कम या 7 वर्ष के कारावास तक दंडनीय है।